भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 2275

दिनांक 08.03.2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रति व्यक्ति पेयजल उपलब्धता

2275. श्री पी॰आर॰ सेनथिलनाथनः
श्री के॰एन॰ रामचन्द्रनः
श्री आर॰के॰ भारती मोहनः

क्या **पेयजल और स्वच्छता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में स्वच्छ पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा किया है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रति व्यक्ति स्वच्छ पानी की उपलब्धता विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित स्तरों से काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति स्वच्छ जल की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को वित्तपोषित की गई परियोजनाओं की संख्या और उन पर आए व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

(श्री एस. एस. अहलूवालिया)

(क) से (ग) देश में पेयजल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की मॉनीटरिंग इस मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है। तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए प्रति व्यक्ति मानदंड कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) है। राज्यों द्वारा मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2011 तक, देश में कुल ग्रामीण बसावटों में से 70.12 प्रतिशत बसावटें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की उपलब्धता से कवर थीं, जबकि दिनांक 05.03.2018 तक कुल ग्रामीण बसावटों के 77.64 प्रतिशत को 40 एलपीसीडी पेयजल की उपलब्धता द्वारा कवर कर लिया गया है। तथापि, राज्य, जल की उपलब्धता, माँग, पूँजीगत लागत, वहन करने की क्षमता आदि के आधार पर उच्चतर मानदंड निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह

मंत्रालय जल एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अधीन देश की ग्रामीण आबादी को 55 एलपीसीडी उपलब्ध कराने की मंशा रखता है। इसके अलावा, जल की आवश्यकता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के अनुसार पीने, कपड़े धोने, हाइजिन कायम रखने आदि जैसी अधिकांश दैनिक जरूरतों के लिए अनुमानतः 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल की आवश्यकता है। यह दर्शाता है कि देश की विविध भू-आकृति की उपस्थिति और अपर्याप्त संसाधनों के बावजूद 40 एलपीसीडी पेयजल के न्यूनतम मानदंड के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज डब्ल्यूएचओ द्वारा निर्धारित मानदंड के लगभग समान है।

इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, पूर्ण रूप से कवर (अर्थात् 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाली), आंशिक रूप से कवर (अर्थात् 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम स्व्च्छ जल प्राप्त करने वाली) और गुणवत्ता प्रभावित (अर्थात् कम से कम एक संदूषक से प्रभावित) बसावटों का राज्य वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(घ) ग्रामीण जल आपूर्ति राज्य का विषय है। तथापि, इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए यह मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के अंतर्गत उनको तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्यों को एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने तथा इसे कार्यान्वित करने की शक्ति प्राप्त है जिसका अनुमोदन राज्य स्तरीय स्कीम संस्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत किए गए व्यय का राज्य वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

08.03.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2275 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य	पूर्णतः कवर की गई बसावटों की संख्या	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों की संख्या	गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार	324	76	0
2	आंध्र प्रदेश	33365	14581	417
3	अरुणाचल प्रदेश	2922	4629	31
4	असम	52837	24239	11023
5	बिहार	67395	38627	4212
6	छत्तीसगढ़	70500	3019	1166
7	गोवा	345	2	0
8	गुजरात	36065	1	0
9	हरियाणा	7610	211	127
10	हिमाचल प्रदेश	42931	10673	0
11	जम्मू एवं कश्मीर	9002	6940	16
12	झारखंड	116990	897	2877
13	कर्नाटक	25244	33983	1021
14	केरल	4943	16247	361
15	मध्य प्रदेश	127797	78	186
16	महाराष्ट्र	87179	12274	279
17	मणिपुर	2237	1551	0
18	मेघालय	1786	8657	32
19	मिजोरम	470	268	0
20	नागालैंड	680	742	30
21	ओडिशा	139111	15626	3036
22	पुडुचेरी	153	113	0
23	पंजाब	10095	1747	3542
24	राजस्थान	56571	45323	19754
25	सिक्किम	750	1334	0
26	तमिलनाडु	93599	6408	197
27	तेलंगाना	13900	9501	1161
28	त्रिपुरा	4581	1600	2542
29	उत्तर प्रदेश	256303	2345	1379
30	उत्तराखंड	22312	17032	16
31	पश्चिम बंगाल	52069	35839	17997
कुल		**1340066**	**314563**	**71402**

(स्रोत: फॉर्मेट सी-17)

08.03.2018 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2275 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक (राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
		व्यय	**व्यय**	**व्यय**	**व्यय (05.03.2018 के अनुसार)**
1	अंडमान एवं निकोबार	0.43	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	427.08	190.6	157.38	167.69
3	अरुणाचल प्रदेश	119.5	66.23	113.71	30.03
4	असम	586.88	216.2	206.61	205.62
5	बिहार	381.9	295.38	473.29	149.52
6	छत्तीसगढ़	173.08	64.64	65.66	38.93
7	गोवा	0	0	3.35	0
8	गुजरात	491.44	274.78	265.16	191.19
9	हरियाणा	228.82	150.74	116.42	52.53
10	हिमाचल प्रदेश	120.18	69.88	66.04	58.69
11	जम्मू एवं कश्मीर	458.03	222.16	219.94	132.18
12	झारखंड	206.88	133.7	157.89	122.01
13	कर्नाटक	622.37	366.68	341.33	268.34
14	केरल	131.86	64.45	74.21	46.97
15	मध्य प्रदेश	399.94	381.15	212.48	95.72
16	महाराष्ट्र	901.96	584	412.32	153.11
17	मणिपुर	92.25	43.44	18.87	45.68
18	मेघालय	81.02	30.92	49.29	19.43
19	मिजोरम	39.81	23.16	24.82	11.05
20	नागालैंड	86.45	61.9	40.2	13.7
21	ओडिशा	272.83	165.25	100.59	59.22
22	पुडुचेरी	0	0	0	0
23	पंजाब	90.23	36.57	53.56	76.24
24	राजस्थान	1386.79	480.21	681.21	517.44
25	सिक्किम	32.03	12.49	15.21	11.1
26	तमिलनाडु	432.39	164.85	188.98	137.99
27	तेलंगाना	189.25	106.42	111.89	473.64
28	त्रिपुरा	64.81	39.97	38.73	30.77
29	उत्तर प्रदेश	1146.18	690.46	639.54	363.62
30	उत्तराखंड	138.05	99.79	99.95	112.35
31	पश्चिम बंगाल	480.72	288.75	444.86	450.67
कुल		**9783.16**	**5324.77**	**5393.49**	**4035.43**

(स्रोतः फॉर्मेट डी-1एल, [0])